

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ़ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए 3-26-2019-1-पांच (49).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-26-2019-1-पांच(53), दिनांक 29 जून 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, द्वितीय परन्तुक में, "मई 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "जुलाई 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों रखे जाएंगे.

2. यह अधिसूचना मई 2021 के 31वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए 3-26-2019-1-पांच (49).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-26-2019-1-पांच-(49), दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

F A-3-26-2019-1-V(49).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-26-2019-1-V(53), dated the 29th June 2019, namely:—

In the said notification, in the third paragraph, in the second proviso, for the figures, letters and words “31st day of May, 2021” the figures, letters and words “31st day of July, 2021” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of May, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.